डॉ. भारत भूषण पारसून के समक्ष , जे.

महावीर पार्षद — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य— प्रत्यर्थी

2005 का CRA-S-596-SB

अप्रैल 9, 2014

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* - धारा *7, 13* और *20* - रिश्वत की मांग साबित करना आवश्यक - दागी नोटों की वसूली - धारा *20* के अंतर्गत मान्यता - नगरपालिका ठेकेदार से शिकायत पर जाल बिछाया गया - अपीलकर्ता पकड़ा गया - दागी मुद्रा नोट अपीलकर्ता के पास से बरामद - मुकदमे की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया - सजा के विरुद्ध अपील की गई - निर्णय, धारा *7* और *13(2)* के तहत आरोप बनाए रखने और धारा *20* के तहत मान्यता उठाने के लिए, अभियोजन को रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकृति को मांग के अनुसार साबित करना आवश्यक है - केवल आरोपी से दागी नोटों की बरामदगी पर्याप्त नहीं है उसे दोषी ठहराने के लिए।.

अभिनिर्णित, इस मामले के तथ्यों पर कानून के अनुप्रयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित बिंदु भी ध्यान देने योग्य हैं:-

1. आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है;
2. अभियोजन को अपने मामले को किसी भी तर्कसंगत संदेह से परे साबित करना है जबकि बचाव पक्ष को सबूतों के प्रबलता से अभियोजन के मामले में एक धक्का लगाना है। संक्षेप में, बचाव पक्ष के मामले में किसी भी संदेह से परे साबिती का परीक्षण लागू नहीं होता है। इस संबंध में एम.के. हर्षन बनाम केरल राज्य एआईआर **1995** एससी **2178** और गरपति सन्युआ नायक बनाम कर्नाटक राज्य **2007(4)** आरसीआर **(**आपराधिक**) 184 (**एससी**)** का उल्लेख किया जा रहा है;
3. आरोपी से दागी मुद्रा नोटों की मात्र बरामदगी तब तक आरोपी से संबंधित नहीं है जब तक मामले के मौलिक सबूत विश्वसनीय न हों। अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य **2005(4)** आरसीआर **(**आपराधिक**) 310,** आनंद प्रकाश

बनाम शिव नारायण शर्मा बनाम हरियाणा राज्य **2009(2)** आरसीआर **(**आपराधिक**) 372,** रघुनाथ बंसल बनाम पंजाब राज्य**, 2010(2)** आरसीआर **(**आपराधिक**) 430 (**पी एंड एच**)**, और क्रिमिनल अपील नं.1619-SB of 2013 शीर्षक जगदीश चंदर बनाम हरियाणा राज्य इस कोर्ट द्वारा 30.1.2013 को निर्णयित पर भरोसा किया जा रहा है;

4. हालांकि कुछ स्वतंत्र गवाहों का जुड़ना न होना अपने आप में अभियोजन के मामले को खारिज करने का कारण नहीं है, लेकिन जब अभियोजन के गवाह विश्वसनीय नहीं होते हैं और वास्तव में संदिग्ध और प्रश्नयोग्य नैतिक फाइबर के होते हैं, उनकी गवाही आरोपी के अपराध के साबित करने के लिए स्वीकार्य होगी। दर्शन लाल बनाम दिल्ली प्रशासन 2010 (1) आरसीआर (आपराधिक) 892 (पी एंड एच). सत पॉल बनाम दिल्ली प्रशासन (1976) 1 एससीसी 727, और हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1974 (एससी) 218 पर भरोसा किया जा रहा है;
5. अधिनियम की धारा 20 के तहत मान्यता उठाने के लिए, अभियोजन को रिश्वत की मांग के साथ-साथ अवैध लाभ की स्वीकृति को साबित करना होगा। इस संदर्भ में वी. वेंकट सुब्बाराव बनाम ए.पी. राज्य 2007 सीआरएल. एल.जे.754, भारत संघ थ्रू इंस्पेक्टर, सीबीआई बनाम पूर्णानंदु बिस्वास2005 (4) आरसीआर (सीआरएल) 517, और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय का उल्लेख किया जा सकता है।
6. यदि किसी मामले के सबूतों और परिस्थितियों पर दो विचार संभव हैं, तो आरोपी की मासूमियत को समर्थन करने वाले विचार का पालन किया जाएगा। इस संदर्भ में टी. सुब्रमण्यम बनाम टी.एन. राज्य (2006) 1 एससीसी 401 का उल्लेख किया जा रहा है।

(पैरा 11)

आगे ये निर्धारित किया गया कि न तो शिकायतकर्ता बलबीर सिंह जो पीडब्लू1 के रूप में उपस्थित हुए थे और न ही शैडो गवाह राजपाल जो पीडब्लू3 के रूप में उपस्थित हुए, इस मामले पर अभियोजन के मामले का समर्थन करते हैं। उन्हें विरोधी घोषित किया गया था और अभियोजन द्वारा लंबाई में पर क्रॉस परीक्षा किए जाने के बावजूद, उनके बयानों में अभियोजन के मामले का समर्थन करने वाला कुछ भी सामने नहीं आया। जब बलबीर सिंह PW1 का बचाव पक्ष द्वारा क्रॉस परीक्षा किया गया, तो उसने बताया कि न तो कोई छापा मारा गया और न ही उसकी मौजूदगी में आरोपी से कोई

वसूली की गई। उसने यह भी विस्तार से बताया कि वह और थानेदार सिविल ड्रेस में आरोपी के पास गए थे जहां न तो डीएसपी और न ही तहसीलदार मौजूद थे। उसने आगे बताया कि आरोपी से 4,000 रुपये की एक भुगतान जमा करने के लिए कहा गया था, यानी 1-1/2 वर्षों के लिए व्यापार कर के रूप में 3,750 रुपये, जो कि प्रति वर्ष 2,500 रुपये की दर से और 250 रुपये म्युनिसिपल फीस के रूप में वार्षिक ठेकेदारी लाइसेंस के लिए। जब शैडो गवाह राजपाल से क्रॉस परीक्षा की गई, तो उसने विभिन्न दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए लेकिन दावा किया कि ये हस्ताक्षर पुलिस द्वारा खाली कागजों पर प्राप्त किए गए थे। उसने अभियोजन के पूरे मामले से इनकार किया।

(पैरा 14)

आगे ये निर्धारित किया गया कि, अभियोजन पक्ष के इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि तहसीलदार धर्मपाल PW2 की गवाही से और जांच अधिकारी रोहताश सिंह अहलावत PW10 की गवाही से उभरा है, जो आरोपी से दागी मुद्रा नोटों की वसूली के बारे में बता रहे हैं, वह महत्वहीन हो जाता है। मुद्रा नोटों की वसूली को आरोपी द्वारा रिश्वत के रूप में स्वीकार किए जाने के सबूत के रूप में और उसके लिए प्रेरणा या इनाम के रूप में सिद्ध किया जाना था लेकिन अभियोजन के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है।

(पैरा 15)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है कि पूर्व में की गई चर्चा को देखते हुए, अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में असमर्थ रहा है और संदेह का लाभ अपीलकर्ता-आरोपी को दिया जाता है।

(पैरा 23)

श्री सुधीर शर्मा,अभिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए.

श्री गुरविंदर एस. संधू, सहायकअभिवक्ता, हरियाणा.

डॉ. भारत भूषण परसूँ, जे.

यह अपील सजा के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है जो कि दिनांकित है और दिनांक 15.3.2005 को पारित आदेश है जो कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिवानी द्वारा दिया गया जिसमें अभियुक्त-अपीलकर्ता महाबीर प्रसाद को मामला FIR संख्या 266 दिनांक 7.9.2001 जो कि पुलिस स्टेशन, सिटी, भिवानी में दर्ज किया गया था, उसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे आगे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है)

की धारा 7 और 13(2) के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी पाया गया था और उसे निम्नलिखित के रूप में सजा दी गई थी:

अपराध	व्यतिक्रम होने पर दंडादेश
अधिनियम की धारा 7 के तहत	छह महीने के लिए आरआई और तीन महीने के लिए आरआई जुर्माना 500/-
अधिनियम की धारा 13(2) के तहत	एक साल के लिए आरआई और तीन महीने के लिए 1000/- जुर्माना आरआई

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में नीचे पुनर्प्रस्तुत किया जा रहा है:-

2.1. अपीलकर्ता-दोषी (जिसे आगे आरोपी के रूप में उल्लेखित किया गया है) भिवानी नगर समिति में एक नगर इंजीनियर थे (जिसे आगे समिति के रूप में संदर्भित किया गया है)। शिकायतकर्ता बलबीर सिंह उसी समिति के साथ एक निर्माण ठेकेदार थे। उन्होंने समिति के वार्ड नंबर 28 में निर्माण सामग्री आपूर्ति की थी। उन्होंने भुगतान जारी करने के लिए आरोपी से संपर्क किया। आवश्यक कार्य के लिए आरोपी ने रिश्वत के रूप में 4,000 रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता रिश्वत देना नहीं चाहते थे।

2.2. इसके बाद, शिकायतकर्ता की पहल पर, पुलिस उपाधीक्षक (DSP), भिवानी के नेतृत्व में एक छापामार दल का गठन किया गया था। राजपाल, प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति में, शिकायतकर्ता द्वारा 500 रुपये के मूल्यवर्ग में 4,000 रुपये के मुद्रा नोट उपलब्ध कराए गए थे। इन पर भिवानी के तहसीलदार ने हस्ताक्षर किए थे और जांच अधिकारी ने तहसीलदार, भिवानी और प्रत्यक्षदर्शी राजपाल की उपस्थिति में फेनोलफ्थेलीन पाउडर (P पाउडर) से नोटों को निशानित किया। शिकायतकर्ता को निर्देश दिए गए कि वह प्रत्यक्षदर्शी के साथ आरोपी के पास जाएं और आरोपी द्वारा मांग पर मुद्रा नोटों को रिश्वत के रूप में सौंप दें। छापामार दल के शेष सदस्यों को केवल प्रत्यक्षदर्शी द्वारा पूर्व निर्धारित संकेत मिलने के बाद ही आरोपी के कार्यालय में आना था, जिसका अर्थ है कि मुद्रा नोट शिकायतकर्ता से आरोपी के पास रिश्वत के रूप में स्थानांतरित हो गए थे।

2.3. सब कुछ पूर्व-नियोजित अनुसार हुआ। छापेमारी सफल रही; आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के हाथों को और पैंट की संबंधित जेब को अलग से सोडियम कार्बोनेट समाधान में डुबोया गया जो गुलाबी हो गया। आरोपी के हाथ और पैंट की जेब को अलग-अलग 'निप्स' में डाला गया जिसे 'आरएसए' के मोनोग्राम की मुहर से ठीक

से सील कर दिया गया। एफआईआर दर्ज की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मौके पर जांच की गई, साइट प्लान तैयार किया गया और 'निप्स' को बाद में विश्लेषण के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया। संबंधित प्रयोगशाला की रसीद प्राप्त होने पर और आवश्यक जांच पूरी होने पर, धारा 173 सीआर.पी.सी.. के तहत आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पेश की गई।

3. अधिनियम की धारा 7 और 13(2) के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का दावा किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

4. आरोपी के खिलाफ अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन ने 11 गवाहों की जांच के अलावा दस्तावेजी साक्ष्य का उत्पादन किया। धारा 313 Cr.P.C. के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में, आरोपी ने अभियोजन पक्ष के मामले को इनकार करते हुए निर्दोषता का दावा किया। उसने दावा किया कि वास्तव में ठेकेदार से व्यापार कर के रूप में ₹ 3,750/- और ठेकेदार शुल्क के रूप में ₹ 250/- की राशि बकाया थी और उसे इस राशि को कमेटी के साथ जमा करने का कानूनी बाध्यता थी।

5. निचली अदालत ने शिकायतकर्ता बलबीर सिंह और छाया गवाह राजपाल, बरामदगी गवाह तहसीलदार, भिवानी और डीएसपी, भिवानी, रोहताश सिंह अहलावत, जांच अधिकारी के बयानों में सामने आई अभियोजन संस्करण पर निर्भर करते हुए, रक्षा के मामले को खारिज करते हुए, आरोपी को दोषी पाया और अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपराध के लिए सजा सुनाई, जैसा कि निर्णय के पहले भाग में उल्लेखित है।

6. सजा के फैसले और उसके खिलाफ दी गई सजा के आदेश को चुनौती देते हुए, आरोपी ने दावा किया है कि न तो उसने कभी रिश्वत मांगी थी और न ही स्वीकार की थी। यह दावा किया गया है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत भी उसके खिलाफ कोई मान्यता नहीं बनाई जा सकती थी। भिवानी के तहसीलदार धरम पाल (पुनर्प्राप्ति गवाह) और डीएसपी रोहताश सिंह अहलावत (जांच अधिकारी) के बयान का जिक्र करते हुए यह दावा किया गया है कि निचली अदालत ने बिना आरोपी की संलिप्तता को दर्शाने वाले किसी भी साक्ष्य के उनके संस्करण को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया। यह दावा किया गया है कि केवल पैसे की वसूली अपने आप में आरोपी पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह आरोप लगाया गया है कि उसके खिलाफ मामला झूठा और बनावटी है, जबकि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था।

7. पक्षों के वकीलों को चुनौती देने वाले निर्णय और सजा के आदेश, अपील के आधार और निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य के माध्यम से सुना गया है।

8. जब अपीलकर्ता-आरोपी के वकील ने यह तर्क दिया कि अभियोजन का पूरा मामला निराधार बनाया जा रहा है जहां न तो रिश्वत की मांग है और न ही स्वीकृति, और आरोपी की कोई संलिप्तता नहीं है, दूसरी ओर प्रतिवादी-राज्य का खड़ा होना यह है कि चुनौती देने वाला निर्णय तथ्यों पर सही होने के साथ-साथ कानून में भी सही है, इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह आरोप लगाया गया है कि जब दोषी मुद्रा नोटों की वसूली आरोपी के कब्जे से साबित हो चुकी है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभियोजन पक्ष के मामले की ताकत को कम करता हो।

9. सबसे पहले, यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 7 के तहत और धारा 13(2) के तहत एक आरोप को बनाए रखने के लिए, अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि रिश्वत की मांग हुई थी और इस तरह की मांग के अनुसार, भुगतान किया गया जिसे रिश्वत के रूप में स्वीकार किया गया था। यह दावा किया जाता है कि 'मांग' और 'स्वीकृति' के प्रमाण के बाद, पैसे की 'प्राप्ति' अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोपी के खिलाफ एक प्रतिवादी धारणा उत्पन्न करती है जिसका अर्थ है कि ऐसा भुगतान रिश्वत के रूप में वसूल किया गया था।

10. सुबाष परबत सोनवणे बनाम गुजरात राज्य[1] मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से पैसे की मांग की थी, जिसे उसने रिश्वत के रूप में स्वीकार किया था। निरीक्षक के माध्यम से भारत संघ, सीबीआई बनाम पूर्णानंदु बिस्वास[2] मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह निर्धारित किया कि जब अवैध लाभ की मांग साबित नहीं होती है, तो केवल कुछ मुद्रा नोटों को लोक सेवक को सौंपना पर्याप्त नहीं है कि इसे लाभ के रूप में स्वीकार किया जा सके। यह निर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष के पास यह आगे का कर्तव्य है कि वह साबित करे कि जो कुछ भी दिया गया था, वह लाभ के बराबर था। यह निर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोपी के खिलाफ धारणा उत्पन्न करने के लिए, मांग और स्वीकार करने की पूर्व-आवश्यकताओं को साबित करना चाहिए। इन कानूनी सिद्धांतों का पालन करते हुए, मध्य प्रदेश

---

[1] एआईआर 2003 एससी 2169
[2] 2005(4) आरसीआर (आपराधिक) 517

उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने हरिराम पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य[3] मामले में इसे और भी स्पष्ट किया। वी. वेंकट सुब्बाराव बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक, ए.पी.[4] द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य मामले में भी यही निर्धारित किया गया कि जब आरोपी द्वारा मांग साबित नहीं की जाती है, तो धारणा कि पैसा प्रेरणा या इनाम के रूप में स्वीकार किया गया था, उठाई नहीं जा सकती। इस संदर्भ में अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य[5] और प्रभु दयाल बनाम हरियाणा राज्य[6] का भी उल्लेख किया जा सकता है।

11. जहाँ तक मामले के तथ्यों पर कानून के आगे अनुप्रयोग की बात है, निम्नलिखित बिंदु भी ध्यान देने योग्य हैं:-

> 1. अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है;
>
> 2. अभियोजन को अपने मामले को किसी भी उचित संदेह से परे साबित करना होता है जबकि बचाव पक्ष को साक्ष्य की प्रधानता से अभियोजन के मामले में एक छेद बनाना होता है। संक्षेप में, बचाव पक्ष के मामले में बिना किसी संदेह के परीक्षण का प्रमाण लागू नहीं होता है। इस संबंध में एम.के. हर्षन बनाम केरल राज्य[7] और गरपति संयु नायक बनाम कर्नाटक राज्य[8] का हवाला दिया जा रहा है;
> 3. केवल अभियुक्त से दोषपूर्ण मुद्रा नोटों की बरामदगी ही पर्याप्त नहीं है जब मामले में मूल सबूत विश्वसनीय नहीं होते। अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य[9], आनंद प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य[10], शिव नारायण शर्मा बनाम हरियाणा राज्य[11], रघुनाथ बंसल बनाम पंजाब राज्य[12], और आपराधिक अपील सं. 1619-SB के 2013 शीर्षक जगदीश चंदर बनाम हरियाणा राज्य का निर्णय इस अदालत द्वारा 30.1.2013 को किया गया है, पर भरोसा किया जा रहा है;
> 4. हालांकि कुछ स्वतंत्र गवाहों का न मिलना अपने आप में कोई आधार नहीं है कि अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज कर दिया जाए, परंतु जब अभियोजन के गवाह विश्वसनीय

---

[3] 2012(1) आरसीआर (आपराधिक) 804
[4] 2007 सीआरएल. एल.जे. 754
[5] 2005 (4) आरसीआर (आपराधिक) 310
[6] 1991(1) आरसीआर (आपराधिक) 374
[7] एआईआर 1995 एससी 2178
[8] 2007(4) आरसीआर (आपराधिक) 184 (एससी)
[9] 2005(4) आरसीआर (आपराधिक) 310
[10] 2008(2) आरसीआर (आपराधिक) 335
[11] 2009(2) आरसीआर (आपराधिक) 372
[12] 2010 (2) आरसीआर (आपराधिक) 430 (पी एंड एच)

नहीं होते और बल्कि संदिग्ध और प्रश्नात्मक नैतिक तंतु के होते हैं, तो उनकी गवाही अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए स्वीकार्य होगी। दर्शन लाल बनाम दिल्ली प्रशासन[13], सत पॉल बनाम दिल्ली प्रशासन[14], और हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य[15] पर भरोसा किया जा रहा है;

5. अधिनियम की धारा 20 के तहत एक पूर्वधारणा उत्पन्न करने के लिए, अभियोजन द्वारा मांग की पूर्व-शर्तें और अवैध लाभ की स्वीकृति साबित की जानी चाहिए। इस संदर्भ में वी. वेंकट सुब्बाराव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[16], इंस्पेक्टर के माध्यम से भारत संघ, सीबीआई बनाम पूर्णानंदु बिस्वास[17], और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सी.बी.आई., कोचीन, केरल उच्च न्यायालय का उल्लेख किया जा सकता है;

6. यदि किसी मामले के सबूतों और परिस्थितियों से दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो उसमें से एक जो अभियुक्त की निर्दोषता का समर्थन करता है, उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में टी. सुब्रमण्यन बनाम तमिलनाडु राज्य [18]का उल्लेख किया जा रहा है।

12. जब संपूर्ण सबूत को इस कानूनी आधारशिला की कसौटी पर परखा जाता है, तो यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष के मामले में सब कुछ ठीक नहीं है।

13. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता बलबीर सिंह PW1 को पहली बार रिश्वत की मांग 7.9.2001 को उनके आवेदन (Ex.PA) में देखी गई थी। इस मांग को आरोपी ने उसी दिन दोहराया था जब शिकायतकर्ता बलबीर सिंह PW2 फिर से दिन के समय उसके पास गए थे और उनके साथ छाया गवाह भी था। अभियोजन पक्ष के मामले का यह हिस्सा इसकी पूरी इमारत की नींव बनाता है।

14. न तो शिकायतकर्ता बलबीर सिंह, जो PW1 के रूप में उपस्थित हुए, और न ही छाया गवाह राजपाल, जो PW3 के रूप में उपस्थित हुए, ने इस गिनती पर अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है। उन्हें विरोधी घोषित किया गया था और अभियोजन द्वारा लंबे समय तक परीक्षण किए जाने के बावजूद, उनके बयानों में अभियोजन पक्ष के

---

[13] 1974 एआईआर (एससी) 218
[14] (1976)1 एससीसी 727
[15] 2010(1) आरसीआर (आपराधिक) 892 (पी एंड एच)
[16] 2007 सीआरएल. एल.जे. 754
[17] 2005(4) आरसीआर (आपराधिक) 517
[18] (2006)1 एससीसी 401

मामले का समर्थन करने वाला कुछ भी सामने नहीं आया था। जब बलबीर सिंह PW1 का बचाव पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया, तो उन्होंने उल्टा यह समझाया कि न तो कोई छापा मारा गया था और न ही उनकी उपस्थिति में आरोपी से कोई बरामदगी हुई थी। उन्होंने यह भी विस्तार से बताया कि वह और थानेदार सादे कपड़ों में आरोपी के पास गए थे जहां न तो DSP और न ही तहसीलदार मौजूद थे। उन्होंने और विस्तार से बताया कि आरोपी से 4,000 रुपये का भुगतान जमा करने को कहा गया था, अर्थात, व्यापार कर के लिए डेढ़ साल के लिए 3,750 रुपये @ 2,500 रुपये प्रति वर्ष और वार्षिक ठेकेदार शिप लाइसेंस के लिए 250 रुपये का नगरपालिका शुल्क। जब छाया गवाह राजपाल से परीक्षण किया गया, तो उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए लेकिन दावा किया कि ये हस्ताक्षर पुलिस द्वारा खाली कागजों पर प्राप्त किए गए थे।

15. अभियोजन पक्ष के मामले की इस पृष्ठभूमि में, जैसा कि तहसीलदार धरमपाल PW2 और जांच अधिकारी रोहताश सिंह अहलावत PW10 की गवाही से सामने आया है, जो आरोपी से दोषपूर्ण मुद्रा नोटों की बरामदगी के बारे में बोल रहे हैं, वह महत्वहीन हो जाता है। मुद्रा नोटों की बरामदगी को आरोपी द्वारा उद्देश्य या इनाम के रूप में रिश्वत के रूप में स्वीकृत किए जाने के प्रमाण के रूप में साबित किया जाना था, लेकिन ऐसा कोई सबूत अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है।

16. इस चरण में, आरोपी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए उसके बयान का रुख भी देखना जरूरी है। उसके अपने शब्दों में, वहां प्रकट होने वाले आरोपी का रुख नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"... मैं निर्दोष हूँ। पी.डब्ल्यू. झूठी गवाही दे रहे हैं। यह मेरे खिलाफ एक झूठा मामला है। वास्तव में यह झूठा मामला उस समय के डी.सी., भिवानी के इशारे पर मेरे खिलाफ दर्ज किया गया था, जो मुझसे नाराज थे क्योंकि मैंने भिवानी से सिरसा में मेरे तबादले के बाद माननीय उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त किया था। मेरी जगह एक मिस्टर मित्तल को लगाया गया था, जो डी.सी. भिवानी के पसंदीदा थे और वह मेरी जगह भिवानी में मिस्टर मित्तल को चाहते थे। मेरी इस मामले में झूठी संलिप्तता के बाद फिर से मिस्टर मित्तल को नगर इंजीनियर के रूप में मेरा उत्तराधिकारी बनाया गया।

कथित रिश्वत के भुगतान और स्वीकृति और छापे और बरामदगी की कहानी झूठी है और वास्तव में मैंने पी.डब्ल्यू.1 बलबीर सिंह से कोई रिश्वत नहीं मांगी न ही आरोप के अनुसार कोई रिश्वत स्वीकार

की है और न ही मेरे खिलाफ कोई छापा मारा गया है न ही मुझसे कोई बरामदगी हुई है। सरकारी पी.डब्ल्यू. सहित पी.डब्ल्यू.2 धरमपाल, पी.डब्ल्यू.10 रोहताश सिंह, डी.एस.पी. ने डी.सी. भिवानी के इशारे पर झूठी गवाही दी है। वास्तव में 4,000 रुपये की राशि जो 3,750 रुपये व्यापार कर के रूप में और 250 रुपये ठेकेदार शुल्क के रूप में पी.डब्ल्यू बलबीर सिंह, इस मामले के शिकायतकर्ता से थी और मैंने कहा बलबीर सिंह से कहा था कि वह उपरोक्त व्यापार कर और ठेकेदार शुल्क के बदले में संबंधित सरकारी अधिकारी के पास 4,000 रुपये जमा करें। मुझे दिखाए गए ऊपर के दस्तावेज़ झूठे और जाली हैं।..."

17. जब आरोपी के इस संस्करण का मूल्यांकन बचाव में सबूत के संदर्भ में किया जाता है, तो यह अत्यधिक संभावना लगती है। दूसरी ओर, न तो रिश्वत की मांग का सबूत है और न ही उसकी स्वीकृति का आरोपी द्वारा, और इस प्रकार अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोजन को आरोपी के खिलाफ पूर्वधारणा उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर, दोषपूर्ण मुद्रा नोटों की मात्र बरामदगी आरोपी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बचाव पक्ष का संस्करण भी अभियोजन के मामले में और संदेह पैदा करता है।

18. Ex.PL से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता को 5.1.2001 को MC, भिवानी में नगर इंजीनियर के रूप में पदस्थ किया गया था। PW8 दौलत राम लेखाकार ने भी इस प्रभाव की गवाही दी है। 30.7.2001 (Ex.DD) को, स्थानांतरण आदेश जारी किए गए जिसके तहत अपीलकर्ता को नगर समिति, सिरसा भेजा गया था और उनकी जगह एक जी.आर. मित्तल को नगर इंजीनियर के रूप में पदस्थ किया गया था। 7.8.2001 (Ex.DE) को, अपीलकर्ता ने इस कोर्ट से ऐसे स्थानांतरण के खिलाफ स्टे आदेश प्राप्त किया था। अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर वर्तमान मामले में फंसाया गया था। शिकायत (Ex.PA) से पता चलता है कि तब के डीसी, भिवानी ने विशेष रूप से तहसीलदार धरम पाल पन्नू और डीएसपी रोहताश सिंह आहलावत को आवश्यक कार्य करने का आदेश दिया था। 26.9.2001 (Ex.DE) को, जी.आर. मित्तल को फिर से समिति में नगर इंजीनियर के रूप में पदस्थ किया गया था। अपीलकर्ता का तर्क है कि उसे समिति से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था ताकि जी.आर. मित्तल को जगह दी जा सके और तब के डीसी, भिवानी ने कहे गए उद्देश्य के लिए शिकायतकर्ता नगर ठेकेदार को प्रेरित किया था।

19. बचाव पक्ष के इस पहलू में जाए बिना, यह कहना पर्याप्त है कि हालांकि तब के डी.सी. की ओर आरोपी के खिलाफ इस मामले को

शुरू करने के लिए आरोप लगाने वाली कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष का मामला अपने आप में भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। मांग और उसकी स्वीकृति के तत्व की अनुपस्थिति के अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले में और भी कई विसंगतियां हैं।

20. नमूनों को 24.9.2001 को एफ.एस.एल. भेजा गया था जबकि, कथित जाल स्थापित करने की घटना 7.9.2001 को है। इसमें 17 दिनों की देरी है जिसकी व्याख्या नहीं की गई है। यहां तक कि उसके बाद भी एफ.एस.एल. से रिपोर्ट (Ex.PM) 12.10.2001 को प्राप्त हुई है जिसमें दिखाया गया है कि नमूनों का विश्लेषण काफी देरी से किया गया, जिसकी देरी की भी व्याख्या नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान नमूने सुरक्षित रहे और उनमें छेड़छाड़ या हस्तक्षेप नहीं हुआ, इसका प्रमाण दिखाने के लिए सबूत की कमी है। डीएसपी रोहताश सिंह अहलावत PW10 ने कहा कि उन्होंने तहसीलदार धरम पाल PW2 से मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर करवाए थे जबकि PW2, मुद्रा नोटों (Ex.P1 से P8) को देखने के बाद, माना है कि कहे गए मुद्रा नोटों पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे।

21. डीएसपी रोहताश सिंह अहलावत PW10 ने गवाही दी कि उन्होंने मुद्रा नोटों पर पी पाउडर लगाया था लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले में कहीं नहीं है कि उन्होंने उसके बाद अपने हाथ धोए थे, यानी आरोपी को पकड़ने से पहले और कथित तलाशी लेने से पहले। उनका आगे का कथन यह है कि उन्होंने खुद ही धुलाई का घोल तैयार किया था जो इस परिस्थिति में कि उन्होंने पी-पाउडर के साथ मुद्रा नोट को लेपित करने के बाद अपने हाथ नहीं धोए थे, अभियोजन पक्ष के मामले को काफी कमजोर कर देता है क्योंकि उनके हाथों में तब भी पी पाउडर के निशान थे और फिर वह घोल के लिए तैयारी करने गए थे जिसके लिए पहले उनके हाथ धोने की आवश्यकता थी।

22. पहले की गई चर्चा की संपूर्णता से, जब अभियोजन पक्ष कई संदेहों से भरा हुआ है, तो बचाव पक्ष का संस्करण अत्यधिक संभावनाशील है।

23. पहले की गई चर्चा के आलोक में, अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं हुआ है और अपीलकर्ता-आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया है।

24. नतीजतन, चुनौतीग्रस्त निर्णय और सजा के आदेश को दरकिनार करते हुए, यह अपील स्वीकार की जाती है, अपीलकर्ता को आरोप से मुक्त किया जाता है। जमानत/सुरक्षा बांड निर्वहन किये जाते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा